# न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारी :–सॉवर मल वर्मा, आई0 ए0एस)

अपील संख्या 16/16 (अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट)
1–सरनाम सिंह पुत्र बलवीर कौम ठाकुर निवासी ग्राम डहरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
2–करतार सिंह पुत्र बलवीर कौम ठाकुर निवासी ग्राम डहरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

बनाम

1–ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी डहीरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर
3–बनैसिंह पुत्र बलवीर कौम ठाकुर निवासी ग्राम डहरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
4–महावीर सिंह पुत्र बलवीर कौम ठाकुर निवासी ग्राम डहरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

अपील संख्या 18/16 (अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट)
1–सीरिया पुत्र सामंता जाति जाटव निवासी डहरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
2–मंगल पुत्र प्रभाती जाति जाटव निवासी डहरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
3–पूरन पुत्र प्रभाती जाति जाटव निवासी डहरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
4–गोकुल पुत्र प्रभाती जाति जाटव निवासी डहरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

बनाम

1–ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी डहीरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर

उपस्थिति :– 1–श्री विजयसिंह कुन्तल, वकील अपीलाण्टस
2–श्री दिनेश शर्मा, वकील रैस्पोडेन्टस

## निर्णय

दिनांक 31–5–2022

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि अपीलाण्टस की ओर से उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के द्वारा प्रकरण संख्या 27/15 में पारित निर्णय दिनांक 16–2–2016 के विरूद्व दो अपील इस आशय की पेश की गयीं कि अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्व व रेकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाण्टस की खातेदारी में दर्ज भूमि को सुनवाई का अवसर दिये बिना रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा न तो अपीलाण्ट को अदालत मातहत में पक्षकार बनाया गया और न ही सुनवाई का कोई अवसर ही दिया गया। अपीलाण्टस सीरिया व अन्य जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा रेस्पोडेन्ट सवर्ण जाति का होने के बावजूद अदालत मातहत द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(बी) के प्रावधानों के विपरीत अपीलाण्टस सीरिया व अन्य की खातेदारी की भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज की है जबकि अनुसूचित जाति की भूमि गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज नही की जा सकती। इसी प्रकार भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही सुधारा जा सकता है। राजस्व इन्द्राजों को दुरस्त नही किया जा सकता परन्तु उक्त प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाण्टस की खातेदारी में स्थित भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं जो कि निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–2–2016 निरस्त किया जावे।

उक्त अपीलें प्रस्तुत होने पर रैस्पोडेन्टस की तलबी जरिये सम्मन की गयी तथा अदालत मातहत की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री दिनेश शर्मा, एडवोकेट उपस्थित हुए तथा अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी मूल पत्रावली प्राप्त हुई।

वकील अपीलाण्ट की ओर से दोनों अपीलों में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–2–2016 विधिविरूद्व व तथ्यों के विपरीत

31/5/22
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

होने के कारण निरस्तनीय है। क्योकिं जो भूमि रैस्पोडेन्ट की खातेदारी में दर्ज की गयी है, उस भूमि के रिकार्डेड खातेदार अपीलान्ट हैं परन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा न तो अदालत मातहत में अपीलाण्टस को पक्षकार बनाया गया और न ही अदालत मातहत द्वारा निर्णय से पूर्व अपीलाण्टस को सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट सीरिया, मंगल, पूरन व गोकुल अनुसूचित जाति के सदस्य हैं तथा रैस्पोडेंट सवर्ण जाति का सदस्य है। कानूनन अनुसूचित जाति की भूमि किसी सवर्ण की खातेदारी में दर्ज नहीं की जा सकती है। इस तरह का कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(बी) का उल्लंघन है परन्तु अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया है। वकील अपीलान्टस द्वारा यह भी तर्क दिया कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरस्त किया जा सकता है। साबिक इन्द्राजों को दुरूस्त नही किया सकता है। उक्त प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रैस्पोडेंट के रिकार्ड में दुरूस्ती करने का आदेश दिया गया है जो कि निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने आरआरटी 2008 (2) पेज–82 पर प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुये तर्क दिया कि सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार 2011–12(सप्लीमेंट) आरआरटी पेज–284 में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुये तर्क दिया कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के आवेदन को स्वीकार किये जाने को गलत मानते हुए यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि इस तरह की दुरस्ती दावा पेश करके ही करवायी जा सकती है। भूराजस्व राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में इस प्रकार का आदेश पारित नही किया जा सकता है। वकील अपीलाण्ट ने 2009(2) आरआरटी पेज–1018 में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुये यह भी तर्क दिया कि सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर दिये बिना पारित आदेश को उचित नही माना गया। अतः उक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय 16–2–2016 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलाण्ट द्वारा की गयी बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेंट के वकील द्वारा तर्क दिया कि रैस्पोडेन्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में भूराजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत इन्द्राज दुरस्ती का दावा प्रस्तुत किया गया था जिसमें स्वयं की खातेदारी की कम हुई भूमि को रैस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किये जाने की इस्तदुआ की थी जिसमें अदालत मातहत द्वारा भूमिधारी तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें कोई अनियमितता या अवैधानितकता नही है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत की जाने वाली कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है। इसके तहत इन्द्राज दुरस्ती करवायी जा सकती है। रैस्पोडेन्ट ने भी अपनी स्वयं की भूमि कम होने का उल्लेख करते हुए अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें भूमिधारी तहसीलदार से रिपोर्ट लेने के बाद अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

जहां तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 (बी) के अल्लंघन का प्रश्न है तो यह कथन मानने योग्य नही है क्योकिं रैस्पोडेन्ट की भूमि सहवन से अपीलाण्ट के नाम दर्ज हो चुकी है जिसकी दुरस्ती अपीलाधीन निर्णय के द्वारा की गयी है। भूप्रबंध विभाग को किसी भी व्यक्ति की भूमि को कम करने का अधिकार नही है। इस तरह की अनियमितता के सम्बन्ध में भूअभिलेखधारी की हैसियत से सुनवाई करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है। उक्त अधिकार के तहत ही उपखण्ड अधिकारी द्वारा सुनवाई करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसके समर्थन में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा आरआरडी 1997 पेज–504 में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया गया है जिसके अनुसार भूप्रबंध संक्रिया की कार्यवाही समाप्त होने के बाद उपखण्ड अधिकारी को भूअभिलेख अधिकारी की हैसियत से भूराजस्व अधिनियम,

1956 की धारा 125 व 136 के तहत सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

अपीलान्टस व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनने व मनन करने एवं बहस के दौरान प्रस्तुत नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अवलोकन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार कुम्हेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है। अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 5–6–2015 में पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका व रेकार्ड प्रस्तुत की गयी है। इस रिपोर्ट को भूमिधारी तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है जिसमे उल्लेख किया गया है कि मुताबिक जांच रिपोर्ट प्रार्थी के अन्य खसरा नंबरान की जांच की गयी जो प्राथी के खसरा नंबर से संभव नही है। सभी पक्षकारान को नियमानुसार सुनकर प्रकरण में आगामी कार्यवाही किया जाना उचित है। भूमिधारी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि रैस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निर्णय पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारान को नियमानुसार सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद ही कार्यवाही की जावे परन्तु निर्णय सम्बन्धी संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न तो रैस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाण्टस को अदालत मातहत में पक्षकार ही बनाया गया और न ही विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में दिये गये सुझाव अनुसार अपीलान्टस को सुनवाई हेतु न तो कोई नोटिस इत्यादि जारी किया गया और न ही सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर दिया गया। इस सम्बन्ध में वकील अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत नजीर 2009 (2) आरआरटी 1018 में प्रतिपादित सिद्धान्त से हम सादर सहमत हैं जिसके अनुसार भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र में संबंधित को सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर दिया जाना उचित माना गया है। इसी प्रकार 2009 (2) आरआरटी पेज में प्रतिपादित सिद्धान्त से भी इसकी पुष्टि करता है कि संबंधित पक्षकारान को उचित व पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। वकील रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत नजीर आरआरडी 1997 पेज 504 में प्रतिपादित सिद्धान्त से हम सादर सहमत हैं कि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व 125 के तहत भू अभिलेख अधिकारी के रूप में उपखण्ड अधिकारी सुनवाई करने हेतु सक्षम है परन्तु उक्त प्रकरण में प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है जिसको उचित नहीं कहा जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.02.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर को प्रतिपेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर देने व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 (बी) में वर्णित प्रावधान को अवलोकित करते हुये पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 31–5–2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

(सॉवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर